न्यायाधीश *सुवीर सहगल* **के समक्ष**

AXXX (किशोर) - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

2020 का सीआरआर नंबर 1005

अगस्त 08, 2020

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, धारा 12 - जमानत देने के लिए आवेदन - भारतीय दंड संहिता, 1860 और धारा 25 शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 148, 149, 302 और 120 के तहत एफआईआर - निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता कथित घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का था - किशोर घोषित किया गया था - जमानत के लिए उसके आवेदन पर अधिनियम की धारा 12 के तहत विचार किया जाना चाहिए - किशोर को जमानत देना एक नियम है और इसका अस्वीकार करना एक अपवाद है - उसे दंड प्रक्रिया संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जमानत पर रिहा किया जाना है, धारा 12 (1) में विनिर्दिष्ट तीन आकस्मिकताओं को छोड़कर- अपराध की गंभीरता एक विचार नहीं है जो धारा 12 के तहत आवेदन का निर्णय करते समय न्यायालय के साथ प्रबल होगा - केवल यह तथ्य कि सह-अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जमानत से इनकार करने का कोई आधार नहीं है- इसके अलावा, डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत पहले की जमानत याचिका को खारिज करना भी वर्तमान याचिका पर निर्णय लेने के रास्ते में नहीं आएगा - परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया गया और जमानत दे दी गई।

और रूप, किशोर को जमानत देना एक नियम है और इसका अस्वीकार होना एक अपवाद है। इस अदालत में **2020 की सीआरआर संख्या 808 शीर्षक** ***साहिल उर्फ नन्नू*** *बनाम* ***हरियाणा राज्य*** **09.06.2020 को निर्णय लिया गया,** यह निर्णय दिया गया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को दंड प्रक्रिया संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, सिवाय अधिनियम की धारा 12(1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट तीन आकस्मिकताओं में से किसी एक को छोड़कर, अर्थात् (i) यदि यह विश्वास करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार प्रतीत होता है कि किशोर की रिहाई से उसके साथ संबंध होने की संभावना है कोई ज्ञात अपराधी, या (ii) रिहाई किशोर को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगी या (iii) उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी। इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है **2020 की सीआरआर संख्या 869 शीर्षक** ***मंगा मान और एक अन्य*** *बनाम* ***पंजाब राज्य*****, 21.05.2020 को निर्णय दिया गया।**

(पैरा 7)

आगे आयोजित, कि जब किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों की अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों और ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में जांच की जाती

है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायालय ने बिना किसी आधार के इस निष्कर्ष को दर्ज किया कि अधिनियम की धारा 12 ((1) के परंतुक को लागू किया जा सकता है। केवल तथ्य यह है कि कुछ सह-अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे को जमानत से इनकार करने का आधार नहीं है। इसके अलावा, अपराध की गंभीरता भी एक विचार नहीं है जो अधिनियम की धारा 12 के तहत उसके आवेदन पर फैसला करते समय न्यायालय के साथ प्रबल होगा। इसलिए, आक्षेपित आदेशों को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द करने योग्य है।

(पैरा 8)

*आगे आयोजित*जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधिनियम की धारा 12 में एक गैर-बाधा खंड है, जो स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को बाहर करता है। डिफॉल्ट जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन दाखिल करना और खारिज करना, जहां तक वर्तमान याचिका के अधिनिर्णय का संबंध है, उसके रास्ते में नहीं आएगा।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता के वकील *नवनीत सिंह छोकर*।

राज्य के लिए गगनप्रीत कौर, ए.ए.जी., हरियाणा।

सुवीर सहगल जे.

(एक) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका Axxx (कानून के साथ संघर्ष में बच्चा) द्वारा दायर की गई है, जिसमें प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, गुरुग्राम द्वारा पारित दिनांक 20.04.2020 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम") की धारा 12 के तहत जमानत देने के लिए उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 21.05.2020 का आदेश, गुरुगाम जिससे उसकी प्रार्थना का भी यही हश्र हुआ।

(दो) अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार, गुलाब सिंह के बेटे हरिओम से इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी कि 27.09.2019 को, उसके चचेरे भाई संजीव को जॉनी और मोनी ने अपहरण कर लिया था, जो अन्य लड़कों के साथ एक कार और दो मोटरसाइकिलों में थे। आरोप है कि उक्त दोनों लड़कों और संजीव के बीच पहले से कोई रंजिश थी। प्रारंभ में, धारा 34 आईपीसी के साथ पठित धारा 365 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद, संजीव का शव बरामद होने पर, एफआईआर संख्या 588 दिनांक 29.09.2019 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148/149/302/364/120-बी और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत एफआईआर में बदल दिया गया, जो पुलिस स्टेशन सेक्टर 10, गुरुग्राम में दर्ज किया गया था। सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान पर, याचिकाकर्ता को 20.11.2019 को गिरफ्तार किया गया था।

(तीन) याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 20.02.2002 है और उसे 21.01.2020 के आदेश के तहत किशोर घोषित किया गया था। उनका तर्क यह है कि याचिकाकर्ता अपराध में शामिल नहीं था और एफआईआर में उसकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।

उसके कहने पर मोटरसाइकिल की बरामदगी उसे हत्या का साथी नहीं बना देती। वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता सीनियर सेकेंडरी का छात्र था और उसकी कथित भागीदारी के परिणामस्वरूप उसकी पढ़ाई बाधित हुई थी, जो उसके खिलाफ एकमात्र आपराधिक मामला है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि चालान 17.04.2020 को पेश किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष के 35 गवाह हैं और उनके सबूत अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं।

(चार) एसआई सुशील कुमार के निर्देश पर, राज्य के वकील ने याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता हत्या के जघन्य अपराध में शामिल है। जमानत पर रिहा होने पर, वह सह-आरोपियों के संपर्क में आने की संभावना है, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर संजीव की हत्या की साजिश रची थी, जो पूर्व नियोजित थी। उनके निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता सहित कुल 17 आरोपी हैं। फिर भी, उसने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे 23.04.2020 को खारिज कर दिया गया था और उसके खिलाफ दायर अपील को सत्र न्यायालय ने 16.05.2020 को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता एक साथ अधिनियम की धारा 12 का आह्वान नहीं कर सका।

(पाँच) मैंने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

(छः) इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता कथित घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का था। उसे किशोर घोषित किया गया था और वह अधिनियम की धारा 2 (13) में निर्धारित "कानून के साथ संघर्ष में बच्चे" के दायरे में आएगा। प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, गुरुग्राम के समक्ष जमानत के लिए उनके आवेदन और सत्र न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर अपील को अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के संदर्भ में निपटाया जाना है।

(सात) एक किशोर को जमानत देना एक नियम है और उसी की गिरावट एक अपवाद है। इस न्यायालय ने 2020 की **सीआरआर संख्या 808 में *साहिल उर्फ नन्नू* *बनाम* *हरियाणा राज्य के रूप में* 09.06.2020 को फैसला सुनाया,** जिसमें कहा गया था कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को अधिनियम की धारा 12 (1) के प्रावधान में निर्दिष्ट तीन आकस्मिकताओं में से किसी एक को छोड़कर दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह विश्वास करने के लिए एक उचित आधार है कि किशोर की रिहाई से उसे किसी भी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने की संभावना है, या (ii) रिहाई किशोर को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगी या (iii) उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को हरा देगी। इस संबंध में **2020 के सीआरआर संख्या 869 *में मंगा मान और अन्य* *बनाम* *पंजाब राज्य के रूप में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है,* जिसका फैसला 21.05.2020 को किया गया था।**

(आठ) जब किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों की अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों और ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में जांच की जाती है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायालय ने बिना किसी आधार के इस निष्कर्ष को दर्ज किया कि अधिनियम की धारा 12 ((1) के परंतुक को लागू किया जा सकता है। केवल तथ्य यह है कि कुछ सह-अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे को जमानत से इनकार करने का आधार नहीं है।

इसके अलावा, अपराध की गंभीरता भी एक विचार नहीं है जो अधिनियम की धारा 12 के तहत उसके आवेदन पर फैसला करते समय न्यायालय के साथ प्रबल होगा। इसलिए, आक्षेपित आदेशों को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द करने योग्य है।

(नौ) जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधिनियम की धारा 12 में एक अबाधक खंड है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। डिफॉल्ट जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन दाखिल करना और खारिज करना, जहां तक वर्तमान याचिका के अधिनिर्णय का संबंध है, उसके रास्ते में नहीं आएगा।

(दस) याचिकाकर्ता 20.11.2019 से हिरासत में है। वह पिछले 8 महीने से अधिक समय से जेल में हैं। तदनुसार, न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि उसे आगे हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

(ग्यारह) नतीजतन, पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है और किशोर न्याय बोर्ड, गुरुग्राम द्वारा पारित दिनांक 20.04.2020 के आक्षेपित आदेश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा पारित दिनांक 21.05.2020 के आदेश को रद्द किया जाता है। मामले के गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना या उस पर टिप्पणी किए बिना, इस स्तर पर, याचिकाकर्ता को प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, गुरुग्राम की संतुष्टि के लिए पर्याप्त जमानत/ज़मानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

(बारह) याचिकाकर्ता के कानूनी अभिभावक नियमित रूप से उसकी आवाजाही की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता किसी भी ज्ञात अपराधियों के साथ नहीं आता है और किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं है।

(तेरह) यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां किए गए किसी भी अवलोकन को मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

अंबाला, हरियाणा